



भा.कृ.अनु.प. - केंद्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान
CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR JUTE AND ALLIED FIBRES
भारतीय परिषद का कृषि अनुसंधान
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
पो.ऑ. बैरकपुर, जिला - 24 परगना (उ.), पश्चिम बंगाल
P.O. BARRACKPORE, DIST. 24-PARGANAS(N), WEST BENGAL



प्रपत्र - I

FORM - I

[नियम 53 (1)]

मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी हेतु नामांकन

Nomination for Death-cum-Retirement Gratuity

जब सरकारी कर्मचारी का कोई परिवार हो और वह एक या एक से अधिक सदस्य को मनोनीत करना चाहता हो, तो/ When the Government servant has a family and wishes to nominate one member, or more than one member, thereof.

एतद्वारा मैं, नीचे उल्लेखित व्यक्ति/व्यक्तियों को, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं/हैं, और उसे/उन्हें नीचे निर्दिष्ट सीमा तक, सेवाकाल के दौरान मेरी मृत्यु होने के उपरांत कोई भी ग्रेच्युटी जिसका भुगतान केंद्र सरकार के द्वारा की जा सकती है, को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूँ एवं मेरी मृत्यु हो जाने पर निर्दिष्ट सीमा तक, कोई भी ग्रेच्युटी जो सेवानिवृत्त होने पर मुझे देय होना शेष है, का भुगतान नहीं किया जाए :-

I,..... hereby nominate the person/persons mentioned below who is/are member(s) of my family, and confer on him/them the right to receive, to the extent specified below, any gratuity the payment of which may be authorized by the Central Government in the event of my death while in service and the right to receive on my death, to the extent specified below, any gratuity which having become admissible to me on retirement may remain unpaid at my death:-

वास्तविक नामांकित व्यक्ति या व्यक्तियों/ Original Nominee (s)				वैकल्पिक नामांकित व्यक्ति या व्यक्तियों/ Alternate Nominee(s)	
नामांकित व्यक्ति / व्यक्तियों का नाम तथा पता I/Name and address of nominee/ nominees	सरकार कर्मचारी के साथ रिश्ता/ Relationship with the Government servant	आयु/ Age	प्रत्येक को देय ग्रेच्युटी राशि का हिस्सा */ Amount of share of gratuity payable each*	सरकारी कर्मचारी द्वारा नामित व्यक्ति का नाम, पता, संबंध और आयु, यदि कोई हो, जिसे नामिती को अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन ग्रेच्युटी का भुगतान प्राप्त करने से पहले कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु से पहले नामित व्यक्ति या सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद नामित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में पारित हो जाएगा I/Name, address, relationship and age of the person of persons, if any, to whom the right conferred on the nominee shall pass in the event of the nominee pre-deceasing the Government servant or the nominee dying after the death of the Government servant but before receiving payment of gratuity	प्रत्येक को देय ग्रेच्युटी राशि का हिस्सा */ Amount of share of gratuity payable to each*
1	2	3	4	5	6

* इस कॉलम को इस तरह से भरा जाना चाहिए कि ग्रेच्युटी की पूरी राशि को कवर किया जा सके।/This column should be filled in so as to cover the whole amount of the gratuity.

** इस कॉलम में दर्शाए गए ग्रेच्युटी की राशि/हिस्सा में वास्तविक नामांकित व्यक्ति को पूरी देय राशि/शेयर शामिल होना चाहिए।/The amount/share of the gratuity shown in this column should cover the whole amount/share payable to the original nominee(s)

यह नामांकन मेरे द्वारा पूर्व मेंको किए गए नामांकन का स्थान लेते हुए उसे निरस्त करता है। / This nomination supersedes the nomination made by me earlier on which stands cancelled.

टिप्पणी : (i) हस्ताक्षर करने के पश्चात सरकारी कार्मिक द्वारा को अंतिम प्रविष्टि करने के बाद कोई अन्य नाम न जुड़ जाए, को रोकने के लिए नीचे रिक्त स्थान को काट देंगे। / The Government servant shall draw lines across the blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he has signed.

(ii) जो लागू नहीं हैं, उसे काट दें। / Strike out which is not applicable.

दिनांक यह / Dated this दिन का / day of.....
..... 2.... पर/ at.....

गवाहों के हस्ताक्षर/ Witnesses to signature:

1.
सरकारी कार्मिक का हस्ताक्षर / Signature of Government Servant
2.

(कार्यालय द्वारा भरा जाए/To be filled by the Head of Office)

द्वारा नामित/ Nomination by

पदनाम/ Designation

कार्यालय/ Office

.....

कार्यालय प्रमुख का हस्ताक्षर/ Signature of Head of Office

दिनांक/ Date ::

पदनाम/ Designation :

केंद्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान

भारतीय परिषद का कृषि अनुसंधान

पो.ऑ. बैरकपुर, जिला - 24 परगना (उ.), पश्चिम बंगाल

परिवार घोषणा-पत्र

1. नाम :
2. पदनाम :
3. अनुभाग / प्रभाग जुड़ा हुआ :
4. स्केल का वेतन :
5. आवासीय पता :
-
-
-

क्र. सं.	परिवार सदस्यों के नाम	जन्मतिथि	संबंध / रिश्ता	पूर्ण या आंशिक रूप से आश्रित	व्यवसाय तथा आय	टिप्पणियां

6. परिवार का आवासीय पता,
यदि कोई हो, जो कर्मचारी के
साथ नहीं रहते हैं।

1. स्थान :
2. सदस्यों के नाम :

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे परिवार के सदस्यों के बारे में उपरोक्त प्रदान की जानकारी सही है।

उपरोक्त कथन के संबंध में कोई परिवर्तन होता है, तो उसकी सूचना कार्यालय को तत्काल प्रदान की जाएगी।

दिनांक :
(हस्ताक्षर)

प्रभाग/ अनुभाग प्रमुख का पदनाम :
अग्रेषित टिप्पणी :

नोट :

1. नाम जोड़ने या हटाने के संबंध में उचित कारण के साथ तत्काल सूचित करें।
2. आय अथवा जन्मतिथि संबंधित दस्तावेज़ यदि कोई हो तो, घोषणा-पत्र के साथ आवश्यक है।
3. आश्रित जिनकी आय रु. 9000/- से कम हैं, उन्हें पूर्ण आश्रित माना जाएगा।
4. महिला कर्मचारी, विवाह होने के उपरांत, वे अपने माता-पिताया ससूराल को परिवार के रूप में चयन कर सकती हैं।
5. वे अपनी पूरी कार्य काल के दौरान एक बार कथित विकल्प में परिवर्तन कर सकती है।
6. पति तथा पत्नी, यदि दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो, स्वयं तथा परिवार के सदस्यों हेतु विभिन्न सुविधाओं के लिए संयुक्त घोषणा विकल्प जमा करेंगे।
7. परिवार का आशय पति, पत्नी, पिता, माता, बेटी, बेटा, बहन, नाबालिगभाई आदि से होता हैं।
8. किसी तरह की शंका होने पर, कृपया कार्यालय से सम्पर्क करें।

मैंने उपरोक्त नोट अच्छी तरह से पढ़ा है।

.....
(हस्ताक्षर)